कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें,
सरगुजा–संभाग–अम्बिकापुर (छ.ग.)

Email Id - jdhealthsurguja@gmail.com

//आदेश//

अम्बिकापुर, दिनांक– 07/08/2026.

क्रमांक/ 788 /स्थापना/अविज्ञप्त/2026 ::: कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला–कोरिया छ.ग. का पत्र कमांक/1620/स्था0/2026 बैकुण्ठपुर दिनांक 07.08.2026 के द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विघालय घुघरा विकास खण्ड सोनहत की छात्राओं द्वारा श्री आर.बी. दिवाकर नेत्र सहायक अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र– सोनहत जिला–कोरिया छ.ग. पर लगाये गये आरोप के संबंध मे आर.बी.एस.के. के चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरविन्द यादव द्वारा खण्ड चिकित्सा अधिकारी सोनहत को उपरोक्त विषय के बारे में जानकारी दी गयी। तदउपरांत खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनहत जिला कोरिया छ.ग. के द्वारा दूरभाष पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचना दिया तदउपरांत अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा तत्काल संबंधित विघालय में जाकर छात्राओं व संस्था प्रभारी के समक्ष खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामु.स्वा.केन्द्र सोनहत जिला–कोरिया छ.ग. को उक्त संबंध में जांच करने हेतु निर्देशित किया गया खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–सोनहत जिला–कोरिया छ.ग. द्वारा छात्राओं के कथन उनके पालकों के सामने लिये गये।

संदर्भित पत्र छात्राओं के लिखित व मौखिक कथन से प्रथम दृष्टया श्री आर.बी.दिवाकर नेत्र सहायक अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनहत जिला–कोरिया छ.ग. द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विघालय घुघरा विकास खण्ड सोनहत की छात्राओं के नेत्र परीक्षण मे अभद्रता किया प्रतीत होता है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला–कोरिया छ.ग. के पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया श्री आर.बी.दिवाकर नेत्र सहायक अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनहत जिला–कोरिया छ.ग. का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम–3 का स्पष्ट उल्लंघन है।

2/ श्री आर.बी.दिवाकर नेत्र सहायक अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनहत जिला–कोरिया छ.ग. को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् **तत्काल प्रभाव से निलंबित** किया जाता है।

3/ निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला–सूरजपुर छ.ग. नियत किया जाता है, निलंबन अवधि में आप संस्था प्रमुख के बगैर लिखित अनुमति के अपना निर्धारित मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

4/ निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

07/08/26

(डॉ. अनिल कुमार शुक्ला)
संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें
सरगुजा संभाग अम्बिकापुर (छ.ग.)

निरंतर पेज //02// पर........

Scanned with CamScanner

पृ.क्रमांक / 789 /स्थापना/अविज्ञप्त/2026 अम्बिकापुर, दिनांक – 07/08/2026.

प्रतिलिपि :–

01. आयुक्त सह् संचालक स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ(विभागाध्यक्ष कार्यालय) नवा रायपुर, स्वास्थ्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर– 19 अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
02. आयुक्त सरगुजा संभाग अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
03. कलेक्टर जिला–कोरिया, (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
04. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–कोरिया (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि आप संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध आरोप पत्र, आरोप विवरण, अभिकथन पत्र, दस्तावेज तथा गवाहों की सूची 07 दिवस के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि नियमानुसार विभागीय–जॉच हेतु समिति गठित की जा सके।
05. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–सूरजपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
06. खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–सोनहत जिला–कोरिया (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित को आदेश की प्रति तामिल कराते हुये पावती अभिस्वीकृति इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
07. संबंधित कर्मचारी श्री आर.बी.दिवाकर, नेत्र सहायक अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनहत जिला–कोरिया छ.ग.(द्वारा खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनहत जिला–कोरिया छ.ग. के माध्यम से सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

07/08/26

संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें
सरगुजा संभाग अम्बिकापुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner